पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कार्यवाही विवरण

विद्यापरिषद् की 18 वीं (आपात) बैठक
दिनांक 10/11/2015, दिन मंगलवार
समय : 12:00 बजे दोपहर
स्थान – क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 643644, 213072 फैक्स 424329, 213073
www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in

क्रं. /प्रशा./वि.प./बैठक/15 बिलासपुर, दिनाक /11/2015

पंजीकृत डाक

प्रति,

1. **डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी**
निदेशक
स्कूल ऑफ एजुकेशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली

2. **प्रो. एस. के. जाधव**
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी विभाग)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

3. **डॉ. संजय तिवारी**
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

4. **डॉ. आर. प्रसाद**
प्राध्यापक (अर्थशास्त्र विभाग)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

5. **डॉ. एल. पी. पटैरिया**
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

6. **प्रो तीर्थेश्वर सिंह**
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला– अनूपपुर (म0प्र0)

7. **श्री रमेश नैयर**
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर
रायपुर (छ.ग.)

8. **डॉ. बी. डी. मिश्रा**
सह आचार्य
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

9. **आयुक्त**
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन, खंड सी
नया **रायपुर** (छ.ग.)

विषय :— विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 18 वीं (आपात) बैठक की कार्यवाही विवरण का प्रेषण।

महोदय / महोदया,

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 18 वीं बैठक दिनांक 10 / 11 / 2015 के कार्यवाही विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार
— सही —

कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

पृ. क्रं. 1558 / प्रशा. / वि.प. / बैठक / 15 बिलासपुर, दिनाक 17 / 11 / 2015

प्रतिलिपि —

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. संबंधित विभाग प्रमुख अकादमी / परीक्षा / गोपनीय एवं स्थापना को कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन प्रतिवेदन शीध्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
3. नस्ती हेतु।

कुलसचिव 17/11/15

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 18 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर की विद्यापरिषद् की 18 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 10/11/2015 को दोपहर 12:00 बजे विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
   छत्तीसगढ, बिलासपुर

2. **प्रो. एस. के. जाधव** – सदस्य
   प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी)
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
   रायपुर (छ.ग.)

3. **डॉ. आर. प्रसाद** – सदस्य
   प्राध्यापक (अर्थशास्त्र विभाग)
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
   रायपुर (छ.ग.)

4. **डॉ. एल. पी. पटैरिया** – सदस्य
   आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
   प्रबंध अध्ययन विभाग
   गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
   बिलासपुर (छ.ग.)

5. **श्री रमेश नैयर** – सदस्य
   संचालक
   छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
   रायपुर (छ.ग.)

6. **श्री दीपक कुमार पाण्डेय** – सचिव
   कुलसचिव
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
   छत्तीसगढ, बिलासपुर

10/11/15

10/11/2015

<u>निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –</u>

1. **डॉ. श्रीमती विभा जोशी** – सदस्य
निदेशक
स्कूल ऑफ एजुकेशन
इंदिरा गाधी राष्टीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली

2. **आयुक्त** – सदस्य
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर (छ.ग.)

3. **डॉ. संजय तिवारी** – सदस्य
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
इलेक्ट्रिानिक्स एवं फोटोनिक्स विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

4. **प्रो तीर्थेश्वर सिंह** – सदस्य
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला– अनूपपुर (म0प्र0)

5. **डॉ. बी. डी. मिश्रा** – सदस्य
सह आचार्य
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

सर्वप्रथम कुलपति जी के द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् कुलसचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न लिखित प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये –

प्रस्ताव कं 1 विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 17 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 17 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण सभी सम्मानीय सदस्यों को प्रेषित किया गया था। कार्यवाही विवरण पर कोई

10/11/15

10.11.15

आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। विद्या परिषद् द्वारा कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुये पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 2 शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्रस्तावित चयन समिति में माननीय कुलाधिपति के द्वारा मनोनयन हेतु पदवार/विषयवार तीन–तीन विषय–विशेषज्ञों के नाम प्रेषित किये जाने पर विचार।

निर्णय – सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पदवार/विषयवार तीन–तीन विषय–विशेषज्ञों के नाम की पैनल की सूची हस्ताक्षरित कर माननीय कुलाधिपति के मनोनयन हेतु प्रेषित करने हेतु सीलबंद किया गया। गोपनीयता की दृष्टि से नाम कार्यवृत्त में न लिखने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव क्रं. 3 अध्यादेश कमांक 03 (Conduct of Examinations and Evaluation of Student Performance) में संशोधन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये T.E.E. 60 प्रतिशत एवं T.M.A. में 40 प्रतिशत का अनुपात रखे जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव क्रं. 4 ''धर्मादा निधि'' से स्वर्ण पदक अध्यादेश कमांक 39 हेतु प्राप्त दानदाताओं के नाम पर प्रस्तावित अध्यादेशों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा अध्यादेश कमांक 39 के अंतर्गत निम्नानुसार अध्यादेश निर्माण का अनुमोदन किया गया –

1. **अध्यादेश कमांक 39(1)** – स्वः श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल स्वर्ण पदक
2. **अध्यादेश कमांक 39(2)** – स्वः श्री अनिरूद्व कुमार दानी स्वर्ण पदक
3. **अध्यादेश कमांक 39(3)** – स्वः डॉ. डी.पी. शुक्ला स्वर्ण पदक
4. **अध्यादेश कमांक 39(4)** – स्वः श्रीमती महेश्वरी देवी त्रिपाठी स्वर्ण पदक

विद्या परिषद् के द्वारा कुलपति को अधिकृत किया गया कि धर्मादा निधि में दान स्वीकार कर उपरोक्त कम में अध्यादेश निर्मित कराकर स्वीकृत कर देवें तथा उसकी कार्योत्तर स्वीकृति आगामी बैठक में लिया जाय।

10/11/15 10.11.15

प्रस्ताव क्रं. 5 बी.ई. पाठ्यक्रम पश्चात् एम.एस.–सी./एम.ए. (गणित) में प्रवेश दिये जाने पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ई. उत्तीर्ण कर आये छात्र को इस विश्वविद्यालय में एम.एस.–सी./एम.ए. (गणित) में प्रवेश की पात्रता होगी।

बैठक के अंत में अध्यक्ष की प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।

(दीपक कुमार पाण्डेय) कुलसचिव/सचिव	(डॉ. बंश गोपाल सिंह) कुलपति/अध्यक्ष